न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ, चित्रकूट।
द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र सं०- 74/2026
CNR. No- UPCH120002142026
उ०प्र० राज्य बनाम लल्लू केवट

अपराध संख्या-519/2008
धारा-60(2) उ०प्र० आबकारी अधिनियम
थाना-मऊ, जिला-चित्रकूट।

दिनांक-11.03.2026

1. अभियुक्त लल्लू केवट की ओर से अपराध संख्या 519/2008, धारा-60(2) उ०प्र०आबकारी अधिनियम, थाना- मऊ, जिला चित्रकूट में द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त अभियुक्त उपरोक्त मामले में दिनांक 10.03.2026 से जेल में निरूद्ध है।

2. अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष व बेगुनाह है। मुकदमा उपरोक्त में आज के पूर्व नियत दिनांक 18.02.2026 नियत थी उक्त नियत तिथि में प्रार्थी घर से बाहर होने के कारण अदालत में उपस्थित नहीं आ सका था तथा प्रार्थी के वकील साहब भी शादी के कार्यक्रम में बाहर होने के कारण हाजिरी माफी नहीं दे सके थे। उक्त अनुपस्थिति के कारण नियत दिनांक 18.02.2026 को प्रार्थी के विरूद्ध एन०बी०डबल्यू० जारी कर दिया गया था। आज दिनांक 10.03.2026 को उपरोक्त की नियत तिथि थी जिसमें प्रार्थी को उपस्थित आना था किन्तु अदालत में उपस्थित होने से पूर्व थाना मऊ की पुलिस प्रार्थी को घर से थाने ले आई है। प्रार्थी न्यायालय के दिए गए आदेशों का पूर्णतया पालन करेगा और जब भी न्यायालय में तलब किया जाएगा तो प्रार्थी न्यायालय का पूर्ण सहयोग करेगा। मामले के अभियोजन साक्षियों को किसी भी प्रकार के भय व प्रलोभन इत्यादि से डराएगा व धमकाएगा नहीं। प्रार्थी की जमानत व मुचलका स्वीकार कर रिहा किए जाने की कृपा की जावे।

3. सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

4. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त के प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुए उक्त को स्वीकार किए जाने पर बल दिया गया है।

5. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अपराध जमानतीय होने का उल्लेख किया गया है।

6. प्रस्तुत प्रकरण में आरोप पत्र दाखिल है तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 25.08.2008 को संज्ञान लिया जा चुका है। उपरोक्त मामला मजिस्ट्रेट विचारणीय है एवं जमानतीय है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

7. अभियुक्त लल्लू केवट की ओर से अपराध संख्या 519/2008, धारा-60(2) उ०प्र०आबकारी अधिनियम, थाना- मऊ, जिला चित्रकूट में द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु० 20000/-रु (बीस हजार रूपए मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इतनी ही धनराशि की एक जमानत प्रस्तुत करने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए।

(एस० आनंद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
मऊ, चित्रकूट।
जे.ओ.कोड यू.पी. 4878

Digitally signed by ANAND SAHASRANAM
Date: 2026.03.12 19:26:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court